प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण विभाग **लखनऊःदिनांकः 12-01-2026**

विषयः- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेण्टर का संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजनान्तर्गत प्रदेश में निर्मित 14- कॉमन इन्क्यूवेशन सेण्टर के संचालन का दायित्व राज्य सरकार का है। इस सम्बन्ध में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था के अन्तर्गत इनके संचालन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत है:-

एक जनपद एक उत्पाद की अवधारणा को संज्ञान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना के संचालन का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के सृजन, नव उद्यमियों को प्लेट फार्म उपलब्ध कराना, स्टॉट अप आधारित नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित करना, प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्म निर्भर बनाना है।

प्रदेश में 14 स्थान यथा- मेरठ, सहारनपुर, आगरा, बरेली, झांसी, लखनऊ, कौशाम्बी, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़ तथा कानपुर देहात की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है, जिसमें बेकरी, पेठा, नमकीन, आलू, जैगरी, हल्दी, एक्सट्रूडेड आर.टी.ई., कॉर्न मिलेट्स, आर.टी.सी./आर.टी.ई. स्नैक्स, केला, आम, सरसों का तेल, दुग्ध, ग्रेन फ्लेकिंग, तुलसी, मिर्च, टमाटर, शहद, फल एवं सब्जी, अमरूद प्रोसेसिंग लाइन की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का समुचित लाभ उपलब्ध हो सकेगा।

जिस जनपद में जिस खाद्य पदार्थ यथा- फल, सब्जी, अनाज, दलहन, तिलहन, डेरी उत्पाद, मसाले, फारेस्ट उत्पाद इत्यादि का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है उसी के अनुसार इन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स पर प्रोसेसिंग लाईन्स स्थापित की गयी हैं। इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों/स्वयं सहायता समूहों/एफ0पी0ओ0/को-आपरेटिव एवं समूहों को अपने उत्पादों को तैयार करने के लिए पूंजीगत निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्क्यूबेशन सेन्टर्स को प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन के लिए भी उपयोग किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स पर प्राईमरी, सेकण्डरी, टर्शियरी प्रसंस्करण के द्वारा कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाये जायेंगे। इस सुविधा से स्टार्ट-अप एवं स्थापित उद्यमी पूंजीगत निवेश के वित्तीय भार से बच सकेंगे।

2. 14-कॉमन इन्क्यूवेशन सेण्टर के संचालन हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविकास मिशन द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूहों नित स्वयं सहायता समूहों एवं चयनित O & M एजेन्सी/टी.पी.आई.ए. के मध्य एम.ओ.यू. (**MOU**) हस्ताक्षरित हो चुका है।

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स हेतु भवन निर्माण, प्रोसेसिंग लाईन्स, लैब हेतु शत प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। स्वीकृत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स के सफल संचालन हेतु विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति, बाउण्ड्री वॉल, एपरोच रोड का निर्माण एवं प्रोसेसिंग लाईन्स हेतु सहायक उपकरणों की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है।

4. योजना के संचालन हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष व्यय निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :-

(1) योजनान्तर्गत निर्मित **कॉमन** इक्युबेशन सेण्टर के संचालन में आने वाला विद्युत व्यय/देयक/विद्युत अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य।

(2) योजनान्तर्गत कॉमन इक्युबेशन सेण्टर के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वाहनों के उपयोग/अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय।

(3) योजनान्तर्गत **कॉमन** इक्युबेशन सेण्टर के संचालन हेतु प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान ।

(4) कॉमन इक्युबेशन सेण्टर के संचालन हेतु किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व का भुगतान।

(5) **कॉमन** इक्युबेशन सेण्टर के सम्यक संचालन हेतु अनुरक्षण पर आने वाला व्यय।

(6) **कॉमन** इक्युबेशन सेण्टर के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्मित कामन इक्युबेशन सेण्टर के अन्य कार्य, जो इनके संचालन हेतु अपरिहार्य है, जैसे-विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति, बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड का निमार्ण, एवं प्रोसेसिंग लाइन्स हेतु सहायक उपकरणों की व्यवस्था।

(7) **कॉमन** इक्युबेशन सेण्टर के संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्मिकों अन्य सहायक कर्मियों तथा आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी, जिनका व्यय आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2026/19(1)/58-2-2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, (खाद्य प्रसंस्करण), उ0प्र0 शासन।

(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(4) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(5) सम्बन्धित जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग, उ0प्र0।

(8) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in